राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)उ.मै.छा./सान्याअवि/पोर्टल/सरलीकरण/2018-19/सान्याअवि/ 36739 दिनांक : 24/06/19

आदेश

विभाग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृतियों के सरलीकरण के संबंध में आदेश क्रमांक 15027 दिनांक 15.03.2019 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार छात्रवृति आवेदन पत्रों के वेरीफिकेशन, स्वीकृति एवं भुगतान की समय सीमा का निर्धारण किया गया था। जिसके अन्तर्गत स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अधिकतम 03 सप्ताह में छात्रवृति स्वीकृति नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः स्वीकृत हो जायेगा एवं इसे डिम्ड एप्रूव्ड मानकर भुगतान कर दिया जायेगा तथा गलत भुगतान होने की स्थिति में संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होगा। निर्धारित 21 दिन तक छात्रवृति स्वीकृति नहीं किये जाने पर विभिन्न जिला कार्यालयों में आवेदन पत्र स्वतः स्वीकृत हो गये है। इस संबंध में जिलाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी एवं जिला कार्यालयों में कार्यरत कार्मिको की ड्यूटी लोकसभा चुनाव 2019 में होने, अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा उक्त प्रक्रिया का प्रथम बार होने के कारण से जिला कार्यालयों में आवेदन पत्र स्वतः स्वीकृत हो गये है।

अतः स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर पर डीम्ड एप्रूव्ड हुए आवेदन पत्रों को पुनः डीएलओ के स्तर पर रिस्टोर करते हुए नियमानुसार निस्तारण हेतु अधिकतम 30 दिवस का अन्तिम बार समय दिया जाता है। उक्त 30 दिवस की अवधि में स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किये जाने पर स्वतः एप्रूव्ड आवेदन पत्र पाये जाने पर जिलाधिकारी के विरूद्ध अनुशासात्मक कार्यवाही की जायेगी। भविष्य में आवेदन पत्र स्वतः अग्रेषित होने एवं गलत भुगतान की स्थिति में संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होगा।

(सांवरमल वर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4)उ.मै.छा./सान्याअवि/पोर्टल/सरलीकरण/2018-19/सान्याअवि/ 36740-79 दिनांक : 24/06/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
4. वरिष्ठ प्रोजैक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर को भेज कर लेख है कि स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर पर डीम्ड एप्रूव्ड हुए आवेदन पत्रों को पुनः डीएलओ के स्तर पर रिस्टोर कर दिया जावे तथा इस आशय का मैसेज विद्यार्थी के मोबाईल पर भी भिजवावें।
5. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
6. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, (समस्त) को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार 30 दिवस में छात्रवृति स्वीकृति का कार्य सम्पादित करावें।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

E/ Lettter and note sheet 2019-20/Letter 2019-20/ 56

Scanned by CamScanner